Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, Impact Factor : 2.0778, Volume 07, No. 01, January, 2017, pp. 299-303

शहरीकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं जयपुर नगर निगम की भूमिका और कार्यकरण का तुलनात्मक अवलोकन

डॉ. प्रदीप सिंह शेखावत*

प्रस्तावना

भारत में प्राचीनकाल से ही नगरीय प्रबन्धन प्रणाली के अवशेष मिलते है। लम्बी ऐतिहासिक परम्परा के साथ आज नगरीय प्रशासनिक संस्थाओं का समुचित गठन देश में किया गया है। लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के क्रम में हर्ष का विषय है कि अप्रैल 1993 में 73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन पारित कर स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक तथा स्वशासकीय बनाया गया है। इसमें 74वाँ संविधान संशोधन नगरीय संस्थाओं से सम्बद्ध है। नगरीय शासन व्यवस्था में नगर निगम, नगरपालिका व नगर परिषदें सम्मिलित हैं। ये निर्वाचित स्वरूप की संस्थाएँ है जो विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र में एक विवेक सम्मत धारणा का उपयोग करती है।

वर्तमान जीवन की बढ़ती हुई जटिलताओं में कुछ कार्यकलाप इतने तकनीकी और दोहरावपूर्ण होते है कि उनके लिए आवश्यक रूप से विशेष समाधानों की आवश्यकता होती है जिन्हें केवल जिम्मेदारी समझी जाए। नगरीय शासन के इस प्रकार को एकल उद्देशीय अभिकरण कहते है, जैसे जयपुर शहर में आवासीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवासन मण्डल का गठन किया गया तथा नागरिक कार्यों के निर्वहन हेतु जयपुर नगर निगम कार्यरत है। शहर में नियोजित विकास व भू–आवंटन अर्थात् नगर नियोजन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

जयपुर के औद्योगिक व जनसांख्यिकी आकार में लगातार वृद्धि से यहां आवासीय, पर्यावरणीय एवं यातायात सम्बन्धी अनेक समस्याऐं उत्पन्न होती गई। अतः इनके समुचित निस्तारण हेतु 8 अगस्त 1982 को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के अधिन जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। इससे पूर्व यहां नगर सुधार न्यास कार्यरत था। जयपुर नगर निगम प्रारम्भ में ''नगर कमेटी'' के नाम से 18 अप्रैल, 1869 को स्थापित किया गया था। इस कमेटी की बाद में 1 जनवरी, 1944 को नगरपालिका अधिनियम, 1943 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत यहां नगर परिषद् स्थापित कर दी गई। इसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा 17 दिसम्बर, 1992 को राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित कर जयपुर में नगर निगम की स्थापना की गई। ये दोनों निकाय राज्य विधान मण्डल द्वारा विधि के अधिन प्रदत्त उत्तरदायित्वों की परिपूर्ति व उनका निष्पादन करते हैं। यह दोनों एक स्वायत्तशासी निकाय है अर्थात् जिसका स्वयं का एक संगठन व कार्मिक तंत्र है। ये एक निगमिक निकाय हैं अतएव यह किसी पर वाद कर सकते हैं। यह स्वयं भी वाद

* पोस्ट डॉक्टरल फैलो, (आई.सी.सी.आर.), राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

योग्य है। इनकी अपनी मोहर एवं आय के पृथक स्त्रोत हैं। परन्तु इनके प्रमुख राज्य के द्वारा निर्धारित प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनमें की नगरीय विकास एवं आवासन विभाग का प्रभारी तथा नगर निगम में राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशासनिक प्रमुखों के रूप में की जाती है।

शहरीकरण में नगरीय संस्थाओं की आवश्यकता

सम्पूर्ण भारत वर्ष में शहरीकरण तेजी से बढ़ता जा रहा है। यद्यपि भारत की आधी से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है, किन्तु गांवों से शहरों की तरफ जनसंख्या का पलायन निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है जिससे नगरीय समस्याओं में बढ़ोतरी हो रही है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए पर्याप्त समाधान के लिए कुछ नगरीय संस्थाओं की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति नगर निगम, नगर परिषदों द्वारा की जाती है, लेकिन बड़े शहरों की समस्याऐं इतना विकराल रूप ले चुकी हैं कि वर्तमान समय में नगर निगमों का प्रशासन पर्याप्त नहीं है इसलिए एकल अभिकरणीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है। शहरीकरण में निम्न समस्याओं पर गौर किया जा सकता है–

- विभिन्न आधारभूत सुविधाऐं जैसे जल संसाधन, सड़क इत्यादि पर जनसंख्या का दबाव तेजी से बढ़ रहा है।
- प्रवासित जनसंख्या आवास की सुविधा के अभाव में अपने आप खाली जगह पर अतिक्रमण कर अपनी बस्तियों का निर्माण कर लेती है।
- बस्तियां शीघ्र ही गंदी बस्तियों का रूप धारण कर लेती है तथा शहर में सौन्दर्य पर एक धब्बे की तरह दिखने लगती हैं।
- वर्तमान में देश की नगरीय जनसंख्या का 33 प्रतिशत एवं देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8 प्रतिशत भाग मलिन बस्तियों में रहता है। मुम्बई का मलिन बस्ती क्षेत्र दक्षिणी मुम्बई एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती हैं।
- वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या से यातायात प्रदूषण तथा पार्किंग की समस्या।
- अन्य समस्याऐं जैसे निर्धनता, अशिक्षा, कानून व्यवस्था, क्षेत्रीय असंतुलन एवं कार्मिक असंतुलन इत्यादि भी नगरीकरण के कारण तेजी से बढ़े हैं।

इस कारण यह कहा जा सकता हैं कि शहरों की विभिन्न समस्याओं के प्रमुख कारणों में जनसंख्या का गांवों से शहरों की तरफ पलायन सबसे प्रमुख है, जिससे इनकी समुचित व्यवस्था के लिए पर्याप्त प्रशासन केवल एक संस्था द्वारा नहीं किया जा सकता। बल्कि नगर निगम के अलावा अन्य संस्थाओं की स्थापना कर उन्हें किसी सिमित क्षेत्र में काम संभलाकर नगर निगम अपने कार्यों में कमी ला सकती है, जिसमें एकल उद्देशीय अधिकरण इनकी सहायता कर सकते है।

जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम की सांगठनिक संरचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की संरचना

किसी भी संस्था की कार्यकुशलता सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था पर अवलम्बित होती है। यह प्रशासनिक व्यवस्था कई उप–व्यवस्थाओं में बंटी होती है अर्थात् संगठन में विद्यमान रहते हैं। इन विद्यमान संगठनों को प्रकोष्ठ का नाम दिया जाता है। किसी संगठन या संस्था का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति समुचित कार्यविभाजन के माध्यम से की जाती है।

सरकारी संगठनों में तो कार्य विभाजन की व्यवस्था अवश्य ही दृष्टिगत होगी क्योंकि इस प्रकार संगठनों में सत्ता का वास होता है। सरकारें अपने कार्य करने के लिए विभागों का निर्माण करती है। इन विभागों के शीर्ष पद पर सत्ता व कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व का केन्द्र होता है।

प्राधिकरण में भी अन्य सरकारी निकायों की तरह पदसोपानिक व्यवस्था पाई जाती है। इन पदसोपानिक व्यवस्था के शीर्ष पद यथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के है, जो की राजनीति स्तर है। प्राधिकरण में प्रशासनिक स्तर पर पाये जाने वाले पदों यथा जयपुर विकास आयुक्त सचिव, निदेशकों, अभियांत्रिकी, नगरनियोजन, विधि और बिल, अतिरिक्त, कार्मिक, समन्वय और भूमि योजनाएँ। इनके अतिरिक्त प्राधिकरण में उपायुक्त (आठ जोन) व अन्य पदाधिकारियों के पद भी पाये जाते है। उक्त प्रशासनिक पदसोपानिक संरचना का प्रमुख जयपुर विकास आयुक्त (जे.डी.सी.) होता है।

जयपुर नगर निगम का संगठनात्मक ढांचा

निगम की प्रशासनिक संरचना के शीर्ष पर महापौर राजनीतिक स्तर के पदाधिकारी होते है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी निगम की प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर होता है। इसके अधिन दस आयुक्त कार्यरत हैं जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा से सम्बन्धित हैं और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायतार्थ उक्त आयुक्तों के अतिरिक्त तकनीकी शाखा, वित्तीय शाखा, स्वास्थ्य शाखा, विधि शाखा, नगर नियोजन शाखा तथा अग्निशमन शाखा में कार्मिक कार्यरत हैं।

जयपुर नगर निगम की संगठन संरचना के चार प्रमुख घटक हैं, इन चारों घटकों के माध्यम से जयपुर नगर निगम की संगठन संरचना का वर्णन किया जा सकता है। ये चार घटक निम्नलिखित है–

1. परिषद्
2. महापौर एवं उपमहापौर
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी या आयुक्त
4. समितियाँ

परिषद् जयपुर नगर निगम के संगठनात्मक ढाँचे में उच्चतम स्तर पर विद्यमान है। यह एक विचार विमर्शकारी निकाय है, विधान मण्डल अधिनियम द्वारा निगम को जो दायित्व सौंपता हैं उसके संदर्भ में नीति निर्धारण का कार्य निगम परिषद् करती है।

महापौर नगर का प्रथम नागरिक होता है। महापौर परिषद् की बैठकें बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है तथा कार्यवाही का संचालन करता है। यह समय–समय पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी से निगम के संदर्भ में प्रतिवेदन तथा सूचनाऐं प्राप्त करता हैं तथा निगम के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है।

जयपुर नगर निगम व जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यात्मक विभेदीकरण

जयपुर नगर निगम के कार्य

नगर निगम नगरीय स्थानीय शासन की प्रमुख संस्था है, जिसकी स्थापना सामान्यतः बड़े नगरों में विधायका द्वारा की जाती है।

भारत के संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा बारहवीं अनुसूची जोड़ी गयी है, जिसमें नगर निकायों के कार्यों का वर्णन किया है। इस अनुसूची में कुल 18 विषयों का वर्णन है। इन विषयों के अनुरूप ही राज्य विधानमण्डल नगरीय निकायों को निर्धारित कार्य सौंपते हैं, जिनकी सूची निम्न है –

अनिवार्य कार्य

- जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना।
- अग्निशमन सेवाओं का संचालन करना।
- सड़क परिवहन सेवाओं की व्यवस्था।
- जल निकास व्यवस्था, नालियों, सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों इत्यादि का निर्माण एवं अनुरक्षण।

- जल स्त्रोतों का निर्माण, अनुरक्षण, शुद्ध पेयजल का प्रबंध तथा वितरण।
- सार्वजनिक मार्गों तथा सार्वजनिक स्थलों से अवरोधकों व अतिक्रमण को हटाना।

इस प्रकार उपर्युक्त कार्य जयपुर नगर निगम के अनिवार्य कार्य हैं जिनका कुशलतापूर्वक निर्वाह करने की जयपुर नगर निगम से अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त जयपुर नगर निगम के कुछ ऐच्छिक कार्य भी है जिनका निष्पादन वह साधनों की उपलब्धता तथा परिस्थितियों की माँग के अनुरूप कर सकेगा। ये ऐच्छिक कार्य निम्नलिखित सूची के माध्यम से व्यक्त किए जा सकते हैं –

- मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन एवं व्यवस्था।
- सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाना व उनका रख–रखाव करना।
- भवनों व भूमि का सर्वेक्षण करना।
- सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण व रख–रखाव।
- विवाह पंजीकरण करना।

जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्य

जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर के सर्वांगीण विकास में नगर नियोजन की परम्परागत गरिमा और शिल्प सौन्दर्य की सम्पन्नता को बुनियादी आधार बनाया एवं इस दौर की आवश्यकता के अनुरूप शहर के आधुनिक निर्माण को नये आयाम दिए। जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यों को मुख्य रूप से छः भागों में बांटा जा सकता है–

1. नगर नियोजन
2. आधारभूत ढांचे का विकास
3. आवासीय/वाणिज्यिक योजनायें
4. जनहितकारी कार्य
5. नगर सौन्दर्यकरण
6. पर्यावरण, पर्यटन एवं मनोरंजन स्थलों का विकास।

यद्यपि मोटे तौर पर देखा जाये तो जयपुर विकास प्राधिकरण उपर्युक्त कार्यों को ही सम्पन्न करता है, किन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम में प्राधिकरण के कार्यों की स्पष्ट तथा विस्तृत व्याख्या की गई है।

1. नगर नियोजन का कार्य जिसमें मास्टर डवलपमेंट प्लान, जोनल डवलपमेंट प्लान का निर्माण सम्मिलित है, साथ ही इस कार्य हेतु सर्वेक्षण कराना तथा आवश्यकता होने पर इनमें परिवर्तन करना।
2. जयपुर रीजन या इसके किसी भाग के विकास के लिए परियोजनाओं तथा स्कीमों का निर्माण करना तथा उनकी स्वीकृति।
3. परियोजना तथा स्कीमों का स्वयं के द्वारा या स्थानीय निकाय के द्वारा या किसी अन्य एजेन्सी द्वारा क्रियान्वयन।
4. किसी अन्य प्राधिकरण के साथ जयपुर रीजन के विकास हेतु सहभागिता करना।
5. जयपुर रीजन के विकास संबंधी परियोजनाओं तथा स्कीमों के क्रियान्वयन में समन्वयन करना।
6. जयपुर रीजन के विकास संबंधी परियोजनाओं तथा स्कीमों के क्रियान्वयन में समन्वयन करना।
7. राज्य सरकार के निर्देशों पर परियोजनाओं तथा स्कीमों का क्रियान्वयन।
8. चल तथा अचल सम्पत्ति का क्रय, प्रबन्ध, निपटारा करना जैसा भी आवश्यक समझें।

सुझाव एवं निष्कर्ष

जयपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर नगर निगम दोनों का ही मुख्य उद्देश्य एवं कार्य जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। प्राधिकरण द्वारा जयपुर नगर की बढ़ती आबादी और विकसित होते महानगरीय स्वरूप की शहरी आधारभूत सुविधाओं का संरचना को विकसित करने में जुटा हुआ है तथा नगर निगम द्वारा शहर में नागरिक सेवायें प्रदान कर जयपुर शहर को विश्वस्तरीय शहर बनाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

जयपुर शहर के विकास में दोनों ही संस्थाओं यथा जयपुर विकास प्राधिकरण तथा जयपुर नगर निगम द्वारा भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रतिदिन के यात्रीभार के कारण शहर में अवस्थित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कम पड़ती हैं जिसके कारण शहर का दैनिक जीवन प्रभावित होता है।

अतः ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राधिकरण तथा निगम द्वारा त्रैमासिक बैठकें आयोजित कर शहर के विकास से सम्बन्धित कार्यों हेतु समीक्षा की जानी चाहिए तथा अपेक्षित प्रस्ताव सरकार को भिजवायें जाने चाहिए ताकि राज्य की राजधानी का चहुंमुखी विकास हो सके।

सन्दर्भ सूची

1. अवस्थी, ए. (1972), ''म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया'', लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।
2. कटारिया, एस.के. (2006), कार्मिक प्रशासन, आर.बी.एस.ए., जयपुर।
3. बिज्जू, एम.आर. (2008), पंचायती राज सिस्टम इन इण्डिया, कनिष्का पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. माहेश्वरी, एस.आर. (1987), भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।
5. भट्टाचार्य, मोहित (1976), मैनेजमेन्ट ऑफ अरबन गवर्नमेन्ट इन इण्डिया, उप्पल बुक स्टोर, नई दिल्ली।
6. सिन्हा, वी.एन. (1986), भारत में स्थानीय सरकारें, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
7. सचदेवा, प्रदीप (2007), ''भारत में नगरीय स्थानीय सरकार एवं प्रशासन'', किताब महल, इलाहाबाद।
8. www.jaipurmc.org
9. http://jda.urban.rajasthan.gov.in

□□□